गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार को अपनी यह सन्तुष्टि करनी होती है कि सरकार के अधीन आने वाले उम्मीदवार सभी तरह से उपयुक्त हैं और उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उम्मीदवार के विरुद्ध नैतिक अधमता के दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि सहित, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे सरकारी रोजगार के लिए अनुपयुक्त ठहरना हो। ऐसी सूचना सामान्यतः केवल विभिन्न जिलों के अभिलेखों में ही उपलब्ध होगी। अतः ऐसी जांच सरकारी एजेंसियों से ही की जानी होती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उक्त पद्धति को यथासम्भव सरल बनाने के लिए सरकार समय-समय पर चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रणाली की पुनरीक्षा करती रही है।

इन्दौर-मालवा यूनाइटेड मिल्स द्वारा बेचा गया नियंत्रित कपड़ा

2315. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उद्योग मंत्री 18 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर ने, जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 के दौरान किस किस पार्टी को, किस किस किस्म का, कितनी कितनी मात्रा में तथा कितने कितने मूल्य का थरेलू (नियंत्रित) कपड़ा बेचा ;

(ख) क्या इन पार्टियों को पहले पैसा जमा कराना पड़ता है; यदि हां, तो कितना और यह निगम किन शर्तों पर व्यापारियों को उक्त कपड़ा बेचता है ;

(ग) क्या ऐसी पार्टियां भी हैं जो निगम से थोक में माल खरीदती है और स्वयं ही उसे बेचने की कोशिश करती है, यदि हां, तो ऐसी पार्टियों के नाम क्या है; और

(घ) उन पार्टियों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्होंने निगम से तैयार कपड़ा तो खरीद लिया परन्तु अपने यहां उसके पहुंचने पर उसे वसूल नहीं किया, और इस कारण निगम को कितनी हानि हुई और क्या इन फर्मों को निगम ने छूट भी दी थी; यदि हां, तो पार्टी वार कितनी राशि की छूट दी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जगदम्बी प्रसाद यादव)) : (क) तथा (घ) जनवरी, 1976 से मार्च, 1978 की अवधि की जानकारी विवरण 19-4-78 तथा 10-5-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 7460 तथा 9827 सम्बन्धी आश्वासनों को पूरा करनेहेतु संसद् के पुस्तकालय में रखी जा रही है। पता चला है कि यह संकलन आकार में बड़ा होगा। अप्रैल, 1978 से अक्तूबर, 1978 की जानकारी लम्बी चौड़ी होगी और इससे निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) तथा (ग) मांगी गई जानकारी लंबी चौड़ी है और तथा उससे निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नही होगे।

Loan given to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited

2316. CHAUDHURY BRAHM PRAKASH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have advanced some money to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi as loan and if so, the amount thereof, when advanced and the rate of interest being charged by Government;

(b) whether it is a fact that the Society's financial condition is very bad and it is running into heavy loss;

(c) whether the Society is returning the loan amount in yearly instalments of Rs. 2 lakhs despite heavy loss with interest; and

(d) whether in the interest of more than 60,000 members of the Society and in the interest to strengthen Cooperatives, the Ministry propose to request the Finance Ministry or the Home Ministry not to press upon the repayment of the loan amount and extend a helping hand by advancing more amount to Society to keep it alive as is the position with Super Bazar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) Yes, Sir. A statement showing details of the loans advanced to the Society and the rate of interest being charged by Government is enclosed.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.